

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 340 आर० 15/2014-15

बजरंगबली मेटालिक्स प्र० लि०

कार्यालय - विकास भवन, बरियातु रोड, राँची - 834008 प्रार्थी

बनाम्

1. जितेन्द्र सिंह पिता स्व० अनुठा सिंह, निवासी जेशु टावर, डिबडीह, थाना डोरण्डा, जिला राँची

2. जे० के० शिखा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय-फ्लैट नं०-123, एस०बी०आई० टावर माँ दुर्गा, हरिहर सिंह रोड, हनुमान मन्दिर के पास, मोराबादी थाना बरियातु जिला-राँची उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमहार्ता, सदर, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 94 आर० 15/2013-14 में दिनांक 12.06.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, राँची ने उत्तरवादी जितेन्द्र सिंह द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए अंचल अधिकारी शहर, राँची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-3887 आर० 27/12-13 में दिनांक 17.04.2013 को पारित आदेश को विखण्डित करते हुए अंचलाधिकारी शहर अंचल, राँची को मौजा मोरहाबादी थाना नं०-192, खाता सं०-126, प्लॉट सं०-1305 रकबा 35 कट्टा भूमि के नामान्तरण से संबंधित मामले में पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने के निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया।

विगत तिथि को बार-बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद में बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी विगत कई तिथियों से इस वाद में

65
27.12.2022

जापरा का क्रम
संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख के
साथ।

1


2

3

. 2

उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अब इस वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। अतः यह पुनरीक्षण वाद पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है।


इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करें।



उपायुक्त

रॉची

लेखपित एवं संशोधित



उपायुक्त

रॉची